

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

संख्या - 225/2024

विवरण :-

1. सुभाष पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।

- वनाम :- वादी
1. केहरसिंह पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
 2. सुनीता कुमारी पुत्री केहरसिंह पत्नी राहुल जाति जाट निवासी गांधीवडी हाल निवासी वार्ड नं० 24 भादरा तहसील भादरा।
 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील श्री बंशीधर शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री भीमसिंह वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 21/90 के मु० नं० 49 के किला नं० 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० नं० 52 के किला नं० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 228 है० नहरी, किला नं० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 4/1 की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें से नहरी 3.7200 है० गै० मु० खाला 0.075 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 239/1265 हिस्सा व रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 20/21 के मु० नं० 28 के किला नं० 11/2 की 0.126 है० नहरी, किला नं० 12 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० नं० 33 के किला नं० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 4/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 5/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 6 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० नं० 48 के किला नं० 9 ता 12, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० नं० 49 के किला नं० 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी, मु० नं० 52 के किला नं० 5/1 की 0.202 है० नहरी, किला नं० 5/2 की 0.051 है० गै० मु० खाला, किला नं० 6/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, मु० नं० 53 के किला नं० किला नं० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला नं० 9 व 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 11.2580 है० जिसमें नहरी 11.007 है०, गै० मु० खाला 0.251 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुभाष को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए हक त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/2/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

संख्या - 225/2024
दिनांक :-

1. सुभाष पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।

:-वादी

- वनाम
1. केहरसिंह पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
 2. सुनीता कुमारी पुत्री केहरसिंह पत्नी राहुल जाति जाट निवासी गांधीवडी हाल निवासी वार्ड नं० 24 भादरा तहसील भादरा।
 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री वंशीधर शर्मा वादी

श्री भीमसिंह वैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 14/2/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 21/90 के मु० न० 49 के किला न० 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 52 के किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, खातेदारी, किला न० 4/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 7 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें से नहरी 3.7200 है० गै० मु० खाला 0.075 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 239/1265 हिस्सा व रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 20/21 के मु० न० 28 के किला न० 11/2 की 0.126 है० नहरी, किला न० 12 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 33 के किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 4/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 5/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 6 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 48 के किला न० 9 ता 12, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 49 के किला न० 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी, मु० न० 52 के किला न० 5/1 की 0.202 है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.051 है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, मु० न० 53 के किला न० किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 9 व 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 11.2580 है० जिसमें नहरी 11.007 है०, गै० मु० खाला 0.251 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Kalpita

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कड़ा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल ही विनाय मुखारमत है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव करा गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 3 की ओर से जवाब पेश किया गया।

वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 2 एसडीआर वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 21/90 के मु० न० 49 के किला न० 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 52 के किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला खातेदारी, किला न० 4/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 7 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें से नहरी 3.7200 है० गै० मु० खाला 0.075 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 239/1265 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 20/21 के मु० न० 28 के किला न० 11/2 की 0.126 है० नहरी, किला न० 12 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 33 के किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 4/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 5/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 6 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 48 के किला न० 9 ता 12, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 49 के किला न० 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी, मु० न० 52 के किला न० 5/1 की 0.202 है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.051 है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, मु० न० 53 के किला न० किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 9 व 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 11.2580 है० जिसमें नहरी 11.007 है०, गै० मु० खाला 0.251 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 2 वहिस्सा बराबर के खातेदार

Kalpit
उपनिष्ठाधिकारी (राजस्व)
जिला न्यायालय

स्वीकार किया है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक धिरसा वादी के पक्ष में त्याग कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 21/90 के मु० न० 49 के किला न० 12 ता 14, 19, 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 52 के किला न० 2/1 की 0.25 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला खातेदारी, किला न० 4/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 7 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें से नहरी 3.7200 है० गै० मु० खाला 0.075 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 239/1265 हिस्सा व रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 20/21 के मु० न० 28 के किला न० 11/2 की 0.126 है० नहरी, किला न० 12 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 33 के किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 4/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 5/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 6 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 48 के किला न० 9 ता 12, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 49 के किला न० 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी, मु० न० 52 के किला न० 5/1 की 0.202 है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.051 है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, मु० न० 53 के किला न० किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 9 व 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल रकबा 11.2580 है० जिसमें नहरी 11.007 है०, गै० मु० खाला 0.251 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 केहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुभाष को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए हक त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिबिरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़